लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के कियांवन हेतु

आवश्यक सूचना

प्रति,

1- रजिस्ट्रार
म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

2- अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/ग्वालियर/सागर/रीवा

3- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला ....

4- रजिस्ट्रार
प्राइवेट यूनिवर्सिटी
पीपुल्स यूनिवर्सिटी भोपाल/आई.टी.एम यूनिवर्सिटी ग्वालियर/मालवांचल यूनिवर्सिटी इन्दौर

5- प्राचार्या
शासकीय स्कूल/कॉलेज

6- संचालक/प्राचार्य
प्राइवेट नर्सिंग स्कूल/कॉलेज

विषयः– मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 (कमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 के अन्तर्गत लोक सेवा गांरटी सेवाओ के संबंध मे।

संदर्भः–आयुक्त चि.शि. के पत्र कमांक 289/आचिशि/लोसेगा/2017 भोपाल दिनांक 11/04/2017

उपरोक्त विषयांतर्ग पत्र मे लेख है कि मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 (कमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 के अन्तर्गत लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल, भोपाल की 1 से 15 तक की सेवायें को ऑनलाइन प्रदाय करने हेतु समय सीमा मे चयन किया गया है। जिनके दिशा निर्देश निम्नानुसार है :–

1. ए.एन.एम/जी.एन.एम सर्टिफिकेट बनाने हेतु एम.पी.ऑन लाईन अथवा लोक सेवा केन्द्र/कियोस्क के माध्यम से आवेदन करेगा। आवेदन के साथ संस्था प्रमुख द्वारा सत्यापित दस्तावेज लॉनलान संलग्न करेगा। 1. 10^{th} की **अंकसूची की छायाप्रति, 2.** 12^{th} की **अंकसूची की छायाप्रति, 3- ANM/GNM अर्हता की समस्त अंकसूची, 4-इंटर्नशिप की मार्कशीट, 5-आधार नंबर (यदि आवेदक के पास हो तो)**

2. बी.एस.एस.नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी.एस.सी नर्सिंग एवं एम.एस.सी नर्सिंग सर्टिफिकेट हेतु संस्था प्रमुख द्वारा समस्त दस्तावेज सत्यापित कर ऑन लाईन के माध्यम से अटैच करे। तथा इनके मूल दस्तावेज को मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल भोपाल मे सत्यापित करना आवश्यक होगा।

   दस्तावेज सत्यापित होने के पश्चात ही आवेदन फार्म प्रोसेस में लिया जावेगा। उपरोक्त सेवाओ को समय सीमा मे तय किया गया है। नर्सिंग संस्थाओ द्वारा समय सीमा मे कार्य नही करने पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत जुर्माना लगाया जा सकता है।

3. प्रामोटी ट्रेनिंग एल.एच.व्ही कोर्स, पोस्ट बेसिक बी.एस.सी डिप्लोमा कोर्स आवेदन संस्था प्रमुख द्वारा सत्यापित दस्तावेज ऑन लाईन के माध्यक से संलगन करेगा।

उपरोक्त सातो सेवाओ हेतु संस्था को 05 दिवस की समय सीमा निर्धारित की गयी है। संस्था को 05 दिवस मे छात्र/छात्राओ फार्म फारवर्ड करना है। फार्म को अच्छी तरह से जांच पडताल कर एवं किसी प्रकार की त्रुटि होने पर संशोधित कर कौंसिल कार्यालय मे भेजा जाये। अपूर्ण एवं असत्य पाये जाने पर फार्म को निरस्त किया जायेगा। जिसका भुगतान वापस नही किया जायेगा।

4. ए.एन.एम, जी.एन.एम एव बी.एस.सी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का नवीनीकरण प्रत्येक पांच वर्ष में किया जाता है। इसके के लिये ऑन लाईन के माध्यम से फार्म भर के फार्म के साथ मूल सर्टिफिकेट एवं एक फोटो कौसिल कार्यालय मे जमा कराना होगा।

5. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का डुप्लीकेट बनाने के लिये निम्न दस्तावेजो के साथ ऑन लाईन फार्म भर के कौसिल कार्यालय मे निम्न दस्तावेज जमा करावे।

1. ए.एन.एम / जी.एन.एम / बी.एस.सी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की छाया प्रति 2. संबंधित नर्सिग संस्था का कवरिंग लेटर, 3. छात्र/छात्रा का शपथ–पत्र जिसमे उल्लेख हो कि किस कारण सर्टिफिकेट का डुप्लीकेट बनाया जा रहा है। 4. संबंधित थाने की एफ.आई.आर. की प्रति। 5. समाचार पत्र मे प्रकाशित गुम होने की सूचना की प्रति। 6. **आधार नंबर (यदि आवेदक के पास हो तो)**

6. **ए.एन.एम्** से जी.एन.एम **के लिए माइग्रेशन** लेटर एवं **जी.एन.एम्.** से पोस्ट बेसिक बी.एस.सी **के लिए माइग्रेशन** लेटर हेतु संबंधित संस्था का कवरिंग लेटर किस कोर्स के लिये चाहिये उसका आवेदन पत्र।

7. ए.एन.एम, जी.एन.एम मार्कशीट डुप्लीकेट बनाने के लिये संस्था प्रमुख के आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करे।

ए.एन.एम, जी.एन.एम मार्कशीट की छाया प्रति, संबंधित नर्सिग संस्था का कवरिंग लेटर, शपथ–पत्र, संबंधित थाने की एफ.आई.आर. की छाया प्रति, समाचार पत्र मे प्रकाशित गुम होने की सूचना की मूल प्रति।

उपरोक्त सेवाओ को समय सीमा मे तय किया गया है। नर्सिग संस्थाओ द्वारा समय सीमा मे कार्य नही करने पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत जुर्माना लगाया जा सकता है।

3/5/12

दिनांक :...............

रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौसिल
भोपाल